

उपखण्ड अधिकारी

मसूदा (अजमेर)

6/4/17

वकील वादी अनुपस्थित। स्वयं वादी अनुपस्थित। मसूदा दिनांक 21/3/17 के संस्थित किया गया। और वादी द्वारा उतिवादी पक्षकारान पर सम्मन वाद पत्र की उतियो सहित तलवाना कटाफगी की गई जो दिनांक 5/4/17 निम्न विधि से कटाफगी प्राप्त हुए। वादी के पुत्र: कटाफगी लगन तलवाना कटाफगे के लिए दि. 5/4/17 से कटाफगी तलवाना लगन कटा नहीं किया है। वाद कटिया > निम्न 11(च) के प्रावधानानुसार खारिज योग्य है। अतः खारिज किया जाता है। मिलक केवल शुगर टोकर गजट है कम है। वाद दफतर फरिखल है।

नीमावनी
 उति से 1 की
 तरफ से दिनांक
 नैरवी नहीं है।
 6/4/17

उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)

